



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2024/HQ/Admin/RTI-1003

New Delhi: 11.10.2024

श्री धीरज कुमार शर्मा
पुत्र श्री सुभाष चंद्र शर्मा
गांव - सिथरोली, पोस्ट - हाथरस जंक्शन
जनपद - हाथरस - 204102
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।
संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 01.10.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

अपर महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

9717636811

नोट :

विषय - श्री धीरज कुमार द्वारा आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना।

संदर्भ: RTI. No: 1003 dated 07.10.2024.

क्रम संख्या	जानकारी मांगी गई	जवाब
1	डेडीकेट फ्रन्ट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड परियोजना के अर्न्तगत रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 एन० आर० आर० पी०-2007 के अर्न्तगत इंटाइटलमेण्ट मैट्रिक्स के अनुसार पूर्वी मालभाडा परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों / परिवारजनों को डेडीकेट फ्रन्ट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा लाभान्वित किया गया है कम्पनी द्वारा लाभान्वित किये गये व्यक्तियों/परिवारजनों की बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	आरटीआई अधिनियम-2005 के नियम 8(1) (जी) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। R.T.I Act para 8 (1) (g) - information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

GM/LA&PG

10.10.24.

AGM/Admn (PIO)

10

Amish Kumar
AM/SEMUA/PIO
10.10.2024